REGISTERED NO. DL—33001/99

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 25, 1999 (आश्विन 3, 1921)
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 25, 1999 (ASVINA 3, 1921)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4
## [PART III—SECTION 4]

**[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]**

**[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]**

---

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली,

सं० एन–15/13/14/3/94–यो० एवं वि०––(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम–1950 के विनियम 95–क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा–46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 सितम्बर, 1999 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम–95–क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम–1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् ––

मात न्डिम क्षेत्र के राजस्व ग्राम के रूप में शामिल क्षेत्र पौनमानै, आत्तूर, वियनूर, अरूविकरै, तिरूवत्तार, तिरप्परप्प, तुम्बकोड कालकुलम तालुक के अरूपेसम पकोड, नलूर मैतूकुमाल, कोलन्कोड, पलूगल, कलीयल, वील्वनकोड़, इडैकोड, अरूमानै, इडूदेसम, कून्नतूर, नट्टालम, गैनकोड, वैलमकोड़, कुलपुरम, अन्डूकोड, वीलावन कोड़ तालुक जिला कन्याकुमारी।

जी० एल० कपूर,
निदेशक (यो० एवं वि०)



1—259 GI/99

E.S.I.C. (HQRS.) Library
N. Delhi

नई दिल्ली, दिनांक 7 सितम्बर 1999

सं० ए-12 (11) 1/95-नि०चि० (मुख्या०)—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34 यथा-संशोधित) की धारा 97 की उपधारा (2) के खण्ड (21) और उपधारा (2क) के साथ पठित धारा 97 की उपधारा (1) और धारा 17 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, वरिष्ठ आहारविद के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (आहारविद) भर्ती विनियम, 1997 में संशोधन करने के लिए, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है; अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (आहारविद) (संशोधन) भर्ती विनियम, 1999 कहे जाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (आहारविद) भर्ती विनियम, 1997 के साथ संलग्न की गई अनुसूची में :

(1) क्र० सं० 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद 1 वरिष्ठ आहारविद के पद के संबंध में क्र०सं० 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तस्थापित की जाए।

वरिष्ठ आहारविद के पद के भर्ती विनियम

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | क्या योग्यता अथवा चयन-व-वरिष्ठता द्वारा चयन अथवा गैर-चयन पद है |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| वरिष्ठ आहारविद | 2* (1999) *कार्यभार के आधार पर घट-बढ़ सकते हैं। | ग्रुप "ख" | 6500-200-10500 रु० | चयन-व-वरिष्ठता |

अनुसूची

| सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा | क्या जोड़े गए सेवा के वर्षों का लाभ स्वीकार्य है | सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं | क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नतों पर भी लागू होंगी |
|---|---|---|---|
| (6) | (7) | (8) | (9) |
| 30 वर्ष से अनधिक<br>टिप्पणी : 1. केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों और क० रा० बी० निगम कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की ढील ।<br>टिप्पणी : 2. आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (और न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहुल एवं स्पीति जिले और चम्बा जिले के पंगी उप प्रभाग, अंडमान एवं निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित अंतिम तारीख) | नहीं | अनिवार्य<br>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आहार विज्ञान/पोषण में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष<br>अथवा<br>किसी मान्यताप्रात विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान/खाद्य और पोषण में विशेषज्ञता सहित गृह-अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष<br>अथवा<br>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से आहार विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा समकक्ष के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक (गृह विज्ञान/गृह-अर्थशास्त्र) जिसमें पोषण एक विशेष विषय रहा हो ।<br>2. आहार-विज्ञान में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव । | लागू नहीं |

| (10) | (11) | (12) |
|---|---|---|
| | | (ख) कालम 8 के अंतर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव जारी रखने वाले। (फीडर वर्ग वाले विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी कतार में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्व उसी अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। |

(आहारविद् के भर्ती विनियम अधिसूचना सं० ए-12(II) 1/95 नि० चि० (मुख्या०) दिनांक 12-5-1997 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-3, खण्ड-4 में दिनांक 31-5-1997 को प्रकाशित हुए थे)।

(13)

टिप्पणी : सीधी भर्ती वाले का स्थाईकरण करने संबंधी विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही अनुमोदन के लिए आयोग को भेजी जाएगी । परन्तु यदि आयोग इसका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय पदोन्नति समिति की एक और बैठक आयोजित की जाएगी जिसकी अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य द्वारा की जाएगी ।

(14)

अ० मु० निम्बालकर
महानिदेशक

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-66, दिनांक 24 अगस्त 1999

सं. 2/1959/डी.एल.आई./भाग-1/एक्जम/89/3040— जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची-1

| क्र०सं० | स्थापना का नाम और पता | कोड नं० | छूट की प्रभावी की तिथि | के०भ०नि० आ० का० नं० |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | मै० विकम स्टील प्रा० लि०, ...-380001 | जी०जे०/222 | 1-1-97 से 31-12-99 | 4/135/99/डीएलआई |

## EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi........

No. N-15/13/14/3/94-P &D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees Regulation 95-A of the Employees State Insurance (General)/ Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st September, 1999 as the date from which the medical benefits as laid down the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely Marthandam centre, Areas comprising the Revenue villages of Fonmanai, ...oor, Veeyanoor, Aruvikkarai, Tiruvattar, Thiruparappu, Thumbacode of Kalkulam Taluk ...udesam, Pacode, Nalloor, Methukumal, ...llancode, Palugal, Kaliel, Vilavancode, Edaicode, ...umanai, Ezhudesam, Kunnathoor, Nattalam, ...ancode, Vellamcode, Kulappuram, Anducode of ...lavancode Taluk in Kanyakumari District.

G.L. KAPOOR
Director (P & D)

New Dejhi thd 7th September 99

No. A-12(11)1/95-DM(HQ)—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 97 read with clause (xxi) of Sub-Section (2) and sub-section (2A) of that section and sub-section (2) of Section 17 of Employees State Insurance Corporation Act, 1948 (34 of 1948 as amended), the ESI corporation thereby makes with the approval of the Central Government following regulations further to amend ESIC (Dietician) Recruitment Regulations 1997. Regulating the method of recruitment to the post of Sr. Dietician namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :

(i) These Regulations may be called the ESIC (Dietician) (Amendment) Recruitment Regulations, 1999.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazettee.

2. In the schedule annexed to the Employee's State Insurance Corporation (Dietician) Recruitment Regulations, 1997.

(i) After Sl. No. 1 and the entries relating thereto. Sl. No. 2 in respect of the post of Sr. Dietician and entries relating thereto shall be inserted

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF SENIOR DIETICIAN

| Name of Post | No. of post | Classification | Scale of Pay | whether Selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post. | Age Limit for direct recruitment | whether benefit of added yrs. of service admissible. | Educational & Other qualification required for direct recruits | whether age & EQ prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Senior Dietician | 2 | Group 'B' | 6500-200-10500 | Selection-cum-Seniority | Not exceeding 30 yrs. | No. | Essential<br>1. Master's degree in dietetics /Nutrition of a recognised university or equivalent.<br>OR<br>Master's degree in Home Science/Home Economics with specialisation in food and nutrition of a recognised university or equivalent.<br>OR<br>B.Sc. (Home Science)/ Home Economics/ with nutrition as a special subject from a recognised university or equivalent with post graduate diploma in dietetics from a recognised university institution or equivalent.<br>(ii) Two yrs. practical experience in dietetics.*** | Not applicable |

*(1999)
Subject to variation dependent on workload.

Note under Column 6
Note 1. Relaxable for Govt. Servants and empoyees of ESIC upto 5 yrs. in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.
Note: 2. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of applications from candidates in India (and not closing date prescribed for those in Assam, Meghalayan, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of J&K state, Lahaul & SPITI District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).
***
Note: 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified.

| Name of post | No. of Post | Classification | Scale of Pay | Whether selection cum-merit for selection cum seniority or non-selection post. | Age limit for direct recruits. | Whether benefit of added yrs. or service admissible. | Educational & other qualification required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to scheduled castes or scheduled tribes if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them |

| Period of prob. if any. | Method of Rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/absorption & % of the post to be filled of various methods. | In case of Rectt. by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made. | If a DPC exists what is its composition. | Circumstances in which UPSC to be consulted in making rectt. |
|---|---|---|---|---|
| (10) | (1) | (12) | (13) | (14) |
| 2 Yrs. for Direct recruits. | Promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment. | **PROMOTION**<br>Dietician in the pay scale of Rs. 5500-9000 with 3 yrs. regular service in the grade.<br>NOTE: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two yrs whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.<br>**DEPUTATION**<br>Officers under the Central Government.<br>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or<br>(ii) with 3 yrs. regular service in post in the scale of 5500-9000 or equivalent; and<br>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column-8.<br>(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for apptt. on deputation. Similarly deputionists shall not be eligible for consideration for apptt. by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately Preceeding this apptt. in the same or some other organisation/Deptt. of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. | Group 'B' DPC (for considering promotion)<br>1. Chairman/Member: UPSC—Chairman<br>2 Medical Commissioner, ESIC—Member.<br>3. Director(Medical) Hqrs. —ESIC—Member<br>Group 'B' DPC (for considering confirmation)<br>1. Medical Commissioner ESIC—Chairman.<br>2. Director (Medical) Hqrs ESIC—Member.<br>Note: The proceedings of the DPC relating to confirmation of a direct resuit shall be sent to the commission for approval.<br>If however these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held. | Consultation with UPSC necessary on each occasion. |

The Recruitment Regulations of Dietician were published in Part III Section 4 of Gazette of India dated 31-5-97 by Notification No. A-12(11)1/95 DM(HQ) dated 12-5-1997.

A.M. NIMBALKAR
Director General

रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/97

REGISTERED NO. DL—33001/97

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, शनिवार 31 मई, 1997 (ज्येष्ठ 10, 1919)

No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 31, 1997 (JYAISTHA 10, 1919)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4
## [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

(भारतीय स्टेट बैंक का सहयोगी)

प्रधान कार्यालय

तिरुवनन्तपुरम, दिनांक 14 मई 1997

शुद्धिपत्र

भारत के राजपत्र भाग III खण्ड 4 में दिनांक 5 अप्रैल, 1997 को प्रकाशित पृष्ठ सं० 1049 में निम्नलिखित शुद्धि की जाए।

| के स्थान पर | पढ़िये |
|---|---|
| आफ | ऑफ |
| कार्यलय | कार्यालय |
| निदशेक | निदेशक |

जी० जी० वैद्य
प्रबन्ध निदेशक

इण्डियन बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

कार्मिक विभाग

चेन्नै-600 001, दिनांक 12 मई 1997

सं. एस आर सी/17/97—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ इंडियन बैंक का निदेशक मंडल एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-

(1) इन विनियमों का नाम इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1997 होगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 19 के उप विनियम (1) के पहले परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

> "परन्तु बैंक, अपने विवेकानुसार, इसके पश्चात् उप विनियम (2) में यथा उपबंधित विशेष समिति/विशेष समितियों के पुनर्विलोकन पर यदि उसका यह अभिमत हो कि यह जन हित में है, किसी अधिकारी कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर या उसके पश्चात् अथवा अधिकारी कर्मचारी के रूप में या अन्यथा 30 वर्ष की कुल सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् किसी समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, सेवानिवृत्त कर सकेगा।"

कृते इंडियन बैंक
पी. आर. सेकर
सहायक महा प्रबंधक (कार्मिक)

---

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

कलकत्ता-700071, दिनांक 14 मई 1997

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

सं० 3-ई० सी० ए० (4)/3/96-97 :—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1 (ख) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से निम्नलिखित सदस्य का नाम उसकी अपनी प्रार्थना पर उसके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है।

| क्र० संख्या | सदस्यता संख्या | नाम एवं पता | दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | 2539 | श्री बसु परेश चन्द्रा<br>6/1, रूस्सा रोड ईस्ट<br>2 लेन,<br>कलकत्ता-700033 | 25-3-97 |

अशोक हल्दिया
सचिव

---

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई 1997

सं. ए-12 (11)-1/95-चि. चि. (मु.)—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34, यथा-संशोधित) की धारा 97 की उपधारा 2 के खण्ड (21) और उपधारा (2क) के साथ पठित धारा 97 की उप-धारा (1) और 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (नर्सिंग अधीक्षक और आहारविद्) भर्ती विनियम, 1977, जहां तक वे आहारविद् के पद से संबंधित हैं, का अतिक्रमण करते हुए, ऐसे अतिक्रमण से पूर्व किए गए अथवा करने से रह गए कार्यों को छोड़कर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम आहारविद् के पद पर भर्ती को विनियमित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

   (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (आहारविद्) भर्ती विनियम, 1977 कहे जाएंगे।

   (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :

   उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और इससे संबंधित वेतनमान इन विनियमों के साथ सम्बद्ध अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट रूप में होगा।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :

   उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा इनसे संबद्ध अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट रूप में होंगे।

4. अयोग्यताएं :

   ऐसा व्यक्ति—

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का इकरार किया है जिसका जीवन-साथी जीवित है, अथवा

   (ख) जिसने अपने जीवन-साथी के जीवित रहते किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का इकरार किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी।

   परन्तु यदि निगम के महानिदेशक इस बात से सन्तुष्ट हैं कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति या विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू व्यक्तिक कानून के अंतर्गत अनुमेय है या ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम से छूट दे सकता है।

5. ढील देने की शक्ति :

   जहां निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना अनिवार्य है या कालोचित है तो वह कारणों को लेखबद्ध करके तथा केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्तियों के किसी वर्ग अथवा श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के किसी उपबंध में आदेश द्वारा ढील दे सकता है।

6. अवशिष्ट मामले :

इन विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पदों के तदनुरूपी वर्ग पर

लागू, सभी विनियम और अनुदेश इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद पर भी लागू होंगे ।

7. अपवाद :

इन विनियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और व्यक्तियों के अन्य वर्गों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

सुरेन्द्र कुमार शर्मा
महानिदेशक

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आहारविद् | 4 | ग्रुप "ग" गैर-लिपिकीय | 1640-60-2600-द० रो-75-2900/-रु० |

| क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद | क्या के० सि० सेवा (पशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती वालों के लिए शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| लागू नहीं | लागू नहीं | *30 वर्ष से अनधिक । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की ढील) *टिप्पणी :—आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों (अंडमान व निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के अलावा) से आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख होगी। | अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आहार-विज्ञान अथवा पोषण अथवा जीव रसायन अथवा गृह-विज्ञान अथवा पोषण विषय के साथ गृह-अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष<br>अथवा<br>किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आहार-विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोषण एक विशेष विषय के साथ विज्ञान स्नातक (गृह-विज्ञान/गृह-अर्थशास्त्र) और किसी अस्पताल के आहार-विज्ञान विभाग में एक वर्ष के कार्य का अनुभव ।<br>ऐच्छिक : पोषण और/अथवा सम्बद्ध विषयों में अनुसंधान अथवा व्यावहारिक अनुभव । |

| क्या सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले अभ्यर्थियों पर भी लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा पदोन्नति प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता । |
|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 |
| लागू नहीं | 2 वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा |

| पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति की जनी है । | विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद होने की स्थिति में उसका गठन | परिस्थितियों जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है । |
|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 |
| लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

टिप्पणी : मूल भर्ती विनियम (नर्सिंग अधीक्षक, आहारविद्) भारत के राजपत्र सं० 13 भाग–3 खण्ड–4 दिनांक 26–7–77 में अधिसूचित किए गए थे ।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई, 1997

सं० IX /2/3/96–ए/सी—जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1966 (1966 के 53वें) की धारा 20 की उप धारा (2) के अनुसार वांछित वर्ष 1995–96 के लिए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र प्रकाशित किया जा रहा है ।

एम० पद्मनाभन
वित्त अधिकारी

---

वार्षिक लेखा

1995–96

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

प्राप्ति और अदायगी लेखा (पृष्ठ 1–38) पांच भागों में, 1 से 5 तक विभक्त हैं । इनमें निम्नलिखित लेन देन आते हैं ।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अनुरक्षण (योजनेतर) खाता | विश्वविद्यालय के योजनेतर खातों से संबन्धित प्राप्तियों और अदायगियों का लखा-ज़ोखा तथा संबंधित प्राप्तियों का विवरण । |
| 2. | विकास (योजना) खाता | आठवीं पंच वर्षीय योजना के वित्तीय प्रावधानों में से विश्वविद्यालय के विकास पर होने वाले व्यय तथा उससे संबंधित प्राप्तियों का विवरण । |
| 3. | उद्दिष्ट (विशेष) निधि खाता | भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य सरकारों, पीठों, वृत्तिदान, न्यास निधियों आदि से विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राप्त अनुदान और उनमें से किये गये व्यय का लेखा जोखा । |
| 4. | ऋण, जमा आदि का खाता | ऋण, जमा आदि शीर्षों के अन्तर्गत होने वाली प्राप्तियों और ऋणों का लेखा जोखा । |
| 5. | अध्येतावृत्ति खाता | "कोई दिया गया एक समय" योजना के आधार पर शोध अध्येतावृत्ति के संबंध में प्राप्तियों और अदायगियों का लेखा जोखा । |

## INDIAN BANK

CENTRAL OFFICE

PERSONNEL DEPARTMENT

Chennai-600 001, the 12th May 1997

No. SRC/17/97.—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of Indian Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :

(i) These Regulations may be called Indian Bank (officers') Service (Amendment) Regulations, 1997.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Bank (Officers') Service Regulations, 1979 for first proviso to sub-regulation (1) of regulation 19, the following shall be substituted, namely :—

"Provided that the Bank may, at its discretion, on review by the Special Committee/Special Committees as provided hereinafter in sub-regulation (2) retire, if it is of the opinion that it is in the public interest, an officer employee on or at any time after the completion of 55 years of age or on or at any time after the completion of 30 years of total service as on Officer employee or otherwise, whichever is earlier".

Sd./- ILLEGIBLE
Asst. General Manager (PL)

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Calcutta-700 071, the 14th May, 1997

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3ECA/4/3/96-97.—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(1)(b) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute at his own request, the name of the following person with effect from the date mentioned against his name.

| S. No. | MRN | Member Name & Address | Canc. Date |
|---|---|---|---|
| 1. | 002539 | Mr. Basu Paresh Chandra<br>6/1, Russa Road East 2nd Lane<br>Calcutta-700 033 | 25-03-97 |

ASHOK HALDIA, Secy.

## EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 12th May 1997

No. A-12(11)-1/95-DM (HQ).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97 read with clause (xxi) of sub-section 2 and sub-section (2A) of that section and sub-section (2) of section 17 of Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948 as amended) and in supersession of Employees' State Insurance Corporation (Nursing Superintendent & Dietician) Recruitment Regulations, 1977, in so far as they relate to the post of Dietician except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes with the approval of the Central Government, the following regulations, regulating the method of recruitment to the post of dietician, namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :

(i) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Dietician) recruitment Regulations, 1997.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. NUMBER, CIASIFICATION AND SCALE OF PAY :

The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Column 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.

3. METHOD OF RECRUITMENT, AGE LIMIT, QUALIFICATIONS ETC. :

The method of recruitment to the said post, age limit, Qualification and other matters connected therewith shall be as specified in Column 5 to 14 of the said Schedule.

4. DISQUALIFICATIONS :

No person—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person living a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to any of the said post.

Provided that the Director General of the Corporation may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of these regulations.

5. Power to relax :—Where the Director General of the Corporation is of opinion that it is necessary or expedient so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing and after taking the prior approval of the Central Government relax any of the provisions of these regulation with respect to any class or category of person.

6. Residuary matters :—Subject to the provisions of these regulations and instructions applicable to the corresponding category of posts in the Corporation shall apply to the post specified in the Schedule annexed to these regulations.

7. Savings :—Nothing in these regulations shall affect reservation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons from time to time in this regard.

S. K. SHARMA,
Director General

SCHEDULE

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether Selection post or non-selection post | Whether benefit of added years of service admissible under Rule-30 of the CCS (Pension) Rules 1972 | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dietician | 4 | Group 'C' Non-Ministerial | Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900 | Not Applicable | Not applicable | *Not exceeding 30 years (relaxable for Govt. servants & employees of Employees State Insurance Corporation) upto 5 years in accordance with instructions and orders issued by Central Govt. | **Essential** Master's Degree in Dietics or Nutrition or/Bio-Chemistry or in Home Science or Home Economics with Nutrition as a subject from a recognised University or equivalent. OR B.Sc (Home Science/Home Economics) with Nutrition as a special subject from a recognised University or equivalent with Post-Graduate Diploma in Dietetics from a recognised institution & one year practical experience in the Dietetics department of a Hospital. **Desirable:** Research or practical experience in the field of nutrition and/or related subjects. |

*Note; The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation if any, | Method of rectt. whether by direct rectt. by promotion/deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of rectt. by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation to be made | If a DPC exists what is its composition. | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Not applicable | 2 years | By direct recruitment | Not applicable | Not applicable | Not applicable. |

Note :—The principle Recruitment Regulations of (Nursing Superintendent & Dietician) were notified in part-III Section 4 of the Gazette of India No. 13 dated 26-7-77.